

# समाहरणालय, मुंगेर

(जिला आपूर्ति शाखा)

उपावंटन आदेश

सरकार के विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-81 (बजट) दिनांक-29.03.2017 द्वारा मुख्य शीर्ष 3456 सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, मांग सं0-18 उपशीर्ष-0002 जिला प्रभार विपत्र कोड सं0 N-3456000010002 गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में विषय शीर्ष 16 01-प्रकाशन एवं मुद्रण ईकाई मद में प्राप्त आवंटन निम्न निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि उपावंटित की जाती है।

क्र0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	प्रकाशन एवं मुद्रण 16 01	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1.	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मुंगेर।	1,50,000.00	
2.	अनुमण्डल पदाधिकारी, तारापुर।	75,000.00	
	अनुमण्डल पदाधिकारी, खड़गपुर।	75,000.00	
	कुल योग:-	3,00,000.00	

(कुल गौ0 तीन लाख रुपये मात्र)

1. यह राशि मुख्य शीर्ष 3456 सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष-0002 जिला प्रभार विपत्र कोड संख्या-N-3456000010002, मांग संख्या-18 (गैर योजना) विषय शीर्ष-16 01 प्रकाशन एवं मुद्रण इकाई मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकलनीय होगा।

2. यह आवंटन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अन्तर्गत राशन एवं किरासन कूपन योजना हेतु पंजी संधारण के लिए विभिन्न पंजियों के क्रय एवं मुद्रण हेतु वित्त विभाग के पत्रांक-2561/वि0 दिनांक-17.04.1998, पत्रांक-4572 दिनांक-03.06.2016 एवं पत्रांक-423/वि0 दिनांक-31.03.2016 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में नियमानुसार व्यय करने की अनुमति दी जाती है।

3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा एतद् संबंधी समय-समय पर निर्गत पत्रों/परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि राशि की निकासी का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दें। उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में व्यय सम्बन्धी किसी भी गड़बड़ी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।


  
20/3/17  
जिला पदाधिकारी  
मुंगेर।

ज्ञापांक: 318/जि0आ0, दिनांक: 30/03/2017  
प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मुंगेर/अनुमण्डल पदाधिकारी, तारापुर/अनुमण्डल पदाधिकारी, खड़गपुर/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
20/3/17  
जिला पदाधिकारी  
मुंगेर।

ज्ञापांक: 318/जि0आ0, दिनांक: 30/03/2017  
प्रतिलिपि :- सरकार के विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी (NIC), मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
30/3/17  
जिला पदाधिकारी  
मुंगेर।